राजस्व अपील संख्या 343/2018

अन्तर्गत

[illegible] बनाम मूलाराम वगैरा

दिनांक 22-3-2022

वकील अपीलान्ट श्री एम. एल. खत्री ने आज एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विचाराधीन उक्त अपील की पत्रावली आज ही तलब कर अपील विड्रो करने बाबत पेश किया था। जिस पर पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई । प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया ।

वकील अपीलांट ने आज उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम मे अवगत कराया कि पक्षकारो के मध्य आपसी समझाइश राजीनाम हो गया है इसलिए अपीलांट उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहता है अतः उक्त अपील को जरिये विड्रोल खारीज की जावें। वकील अपीलांट के निवेदन पर उक्त अपील जरिये विड्रो खारीज की जाती है । पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

[illegible] संभागीय आयुक्त
जोधपुर

29/3/22